प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"Refresher Course for Police Inspectors"

दिनांक 09-07-2018 से 13-07-2018

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 09-07-2018 से 13-07-2018 तक **"Refresher Course for Police Inspectors"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री सौरभ श्रीवास्तव, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से कुल 23 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर क्राईम एक्सपर्ट ने इन्टरनेट-धोखाधड़ी, साइबर अपराध, साइबर अपराधों का अनुसंधान एवं साइबर फोरेंसिक का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर संगठित अपराधों के अनुसंधान में सैल फोन, इन्टरनेट, सी.डी.आर. विश्लेषण एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्री कप्तान सिंह, पुलिस निरीक्षक ने पुलिस के सामाजिक दायित्व (पुलिस एक्ट की धारा 30) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम और संबल योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत) ने जमीन व रेवेन्यू सम्बन्धी विवादों /प्रकरणों का अनुसंधान पर विस्तृत व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री राजेन्द्र सिंह, पु.नि. ने संगठित अपराधों की रोकथाम एवं आभ्यासिक अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के कानूनी प्रावधान एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां (Cr.P.C., N.S.A., Raj. PASA Act-2006, H.O. Act-1953) राज.गुण्डा एक्ट, आर.पी.आर.1965 एवं स्थानीय अधिनियम पर विस्तृत रूप से बताया।

तीसरे दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पु.नि. ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञापक प्रावधान एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से बताया। अन्तिम सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक (सीडीपीएसएम) ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध-दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 तथा इन अपराधों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम में इन अपराधों से संबंधित उपधारणाऐं एवं विशेष प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

चौथे दिन प्रथम सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधान एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय व अन्तिम सत्र में श्री आर.एस.शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (सेवानिवृत) ने विधि विज्ञान की सहायता कब कैसे ली जाएगी, विभिन्न घटनास्थलों से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं विशेषज्ञ से राय प्राप्त करने हेतु अग्रेषण पत्र का प्रारूप एवं अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, विशेषत: डी.एन.ए. परीक्षण, प्रादर्शों का परीक्षण, सील मुहर कर राय प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बातें आदि के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री ओमप्रकाश, आर.पी.एस. सेवानिवृत ने किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं बाल श्रम एवं बाल तस्करी एवं पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 13.07.2018 को 03:15 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। जिसमें कोर्स निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश नवल के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये एवं कोर्स समाप्ति की घोषणा की।

भवदीय,

ज्ञान प्रकाश नवल
उप अधीक्षक पुलिस
कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर